न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 52 / 2023

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

1. सुरजाराम पुत्र फगलूराम जाति गवारिया निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

1. खीमाराम पुत्र भलाराम उम्र 47 वर्ष
2. लाधाराम पुत्र भलाराम उम्र 52 वर्ष
3. मोहनराम पुत्र भलाराम उम्र 48 वर्ष
4. पार्वतीदेवी पुत्री भलाराम उम्र 45 वर्ष
5. मीमादेवी पुत्री भलाराम उम्र 42 वर्ष
6. रम्भादेवी पुत्री भलाराम उम्र 38 वर्ष
7. लखमादेवी पुत्री भलाराम उम्र 35 वर्ष
8. कबुदेवी पुत्री भलाराम उम्र 35 वर्ष
9. केगोंदेवी पत्नि लालाराम उम्र 70 वर्ष जातियान भाली निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
10. खेतुदेवी पत्नि शेराराम उम्र 43 वर्ष जाति जाट निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
11. तहसीलदार सिणधरी, बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल सारण , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 19.03.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा धने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 526 / 242 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा धने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 526/242 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा धने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 526/242 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा धने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 526/242 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा धने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 526/242 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा धने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 526/242 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म

बा. सोयम खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है.उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.03.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी